रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239340
CG-DL-E-06102022-239340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 256] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई पी एच डब्ल्यू विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

विषय: भारत में डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने के लिए संशोधित योजना

सं. डब्ल्यू-38/21/2022-आई पी एच डब्ल्यू.— 1. पृष्ठभूमि

1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में लगभग 2 ट्रिलियन (150 लाख करोड़ रूपये) अमरीकी डालर का मूल्य, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी बाजार में 5जी, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आदि सहित उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती पैठ को देखते हुए उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है।

1.2 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) का विज़न भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। एनपीई 2019 की मुख्य रणनीतियों में से एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना को सुकर बनाना है।

2. **उद्देश्य**: इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश में डिस्प्ले निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना।

3. पात्रता और भारत सरकार से पूंजी सहायता

3.1 डिस्प्लेफैब्स

विवरण	भारत में टीएफ़टी एलसीडी या एएमओएलईडी आधारित डिस्प्ले पैनल बनाने के लिए डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स (फैब्स) स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनियां / कन्सोरटिअ / संयुक्त उद्यम
प्रौद्योगिकी	जनरेशन 8 या उससे ऊपर की टीएफ़टी एलसीडी तकनीक या जनरेशन 6 या उससे ऊपर की एएमओएलईडी तकनीक
क्षमता	टीएफटी एलसीडी के लिए 60,000 पैनल / माह या अधिक एएमओएलईडी के लिए 30,000 पैनल / माह या अधिक
परिचालन अनुभव	आवेदक कंपनियों / संघ / संयुक्त उद्यमों के पास निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए: क. जनरेशन 6 या उससे ऊपर की टीएफटी एलसीडी तकनीक के साथ एक वाणिज्यिक डिस्प्ले फैब्स सुविधा का स्वामित्व और संचालन करना या ख. जनरेशन 8 की टीएफटी एलसीडी याजनरेशन 6 की एएमओएलईडी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकों का स्वामित्व या अधिकार; और लाइसेंसिंग या विकास के माध्यम से उन्नत तकनीकों के रोडमैप का द्वारा प्रदर्शन करना
पूंजी निवेश सीमा	₹10,000 करोड़ का न्यूनतम पूंजी निवेश (100 बिलियन रूपए)
राजस्व सीमा	आवेदन जमा करने के वर्ष से पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी ₹7,500 करोड़ (₹75 बिलियन) (समूह कंपनियों सहित) का न्यूनतम राजस्व
भारत सरकार से वित्तीय सहायता	**परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता**
	50%

4. वित्तीय सहायता

4.1 वित्तीय सहायता: यह योजना पैरा 3 में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अधीन डिस्प्ले फैब्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

4.2 राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, का भी लाभ उठाया जा सकता है।

5. अवसंरचना सहायता

5.1 अवसंरचना / सामान्य सुविधा केंद्रों के विकास के लिए सहायता: भारत सरकार बुनियादी ढांचे / सामान्य सुविधा केंद्र के विकास के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के लाभों को ईएमसी 2.0 ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रस्ताव के अधीन बढ़ा सकती है।

6. मांग एकत्रीकरण सहायता: भारत में स्थापित डिस्प्ले फैब्स को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में खरीद वरीयता के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।

7. **अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए सहायता:** योजना के परिव्यय का 2.5% तक भारत में डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

8. योजना का कार्यकाल: योजना के तहत सहायता छह वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। वास्तविक इंसेटिव बहिर्वाह की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

9.योजना का वित्तीय मूल्यांकन : योजना का मूल्यांकन व्यय विभाग के सचिव के नेतृत्व वाली व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा किया जाएगा।

9.1 व्यय वित्त समिति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नोडल एजेंसी के परामर्श से योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा का निर्धारण करेगी।

9.2 यदि वित्तीय सहायता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इक्विटी के रूप में प्रदान की जाती है, तो भारत सरकार की हिस्सेदारी कुल परियोजना इक्विटी के 49% से अधिक नहीं होगी।

10. **आवेदन प्रक्रिया:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से आवेदन प्राप्त करने के लिए नई विंडो खोलने की तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। इस अधिसूचना में निहित नई योजना के अनुसार, सभी आवेदक जिन्होंने 21 दिसंबर, 2021 (पहले की योजना) की राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में आवेदन किया था, उन्हें नई आवेदन विंडो खुलने पर आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11. लाभार्थियों की संख्या: योजना के तहतअधिक से अधिक दो (2)आवेदको को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।इस योजना के तहत एक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में भी, दुनिया भर में सीमित डिस्प्ले फैब्स कंपनियों की उपलब्धता के कारण, गतिविधि की प्रकृति और, आवेदक कंपनी / संघ के चयन और अनुमोदन की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आर्थिक वास्तविकताओं और देश में डिस्प्ले फैब होने की आवश्यकता को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास, डिजिटल संप्रभुता और तकनीकी नेतृत्व के लिए डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू क्षमताएं होना अनिवार्य है।

12. शासन तंत्र

12.1 **नोडल एजेंसी:** इस योजना का क्रियान्वयन एक नोडल एजेंसी (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह की नोडल एजेंसी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के तकनीकी मूल्यांकन और प्रारंभिक वित्तीय मूल्यांकन; योजना और उसके दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार आवेदकों के चयन की सिफारिश करना; और समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। नोडल एजेंसी के कार्यों और जिम्मेदारियों को एमईआईटीवाई द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले योजना दिशानिर्देशों में विस्तृत किया जाएगा।

12.2 योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, नोडल एजेंसी अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

12.2.1 आवेदन प्राप्त करना, पावती जारी करना और योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदकों की पात्रता सत्यापित करना। जब तक नोडल एजेंसी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आगे की प्रक्रिया को अंजाम देगा।

12.2.2 परियोजनाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ आवेदकों की विशेषज्ञता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पैनल एजेंसी या सलाहकार को सूची में सम्मिलित करना।

12.2.3 योजना के तहत उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण, अनुप्रयोगों, उत्पादन, क्षमता, आदि, और संरचना और वित्तीय सहायता की मात्रा का प्रस्ताव करने के लिए आवेदक (ओं) के साथ बातचीत करना।

12.2.4 योजना के तहत वित्तीय सहायता के वितरण के लिए पात्र दावों की जांच करना और पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता का वितरण करना।

12.2.5 योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

13. अनुमोदन प्रक्रिया

13.1 नोडल एजेंसी द्वारा क्यूसीबीएस मूल्यांकन:आवेदक का मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) मानदंड के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें तकनीकी पैरामीटर जैसे प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता, संचालन क्षमता आदि शामिल होंगे। इसमें सरकार से मांगी गई वित्तीय सहायता की संरचना जैसे वित्तीय पैरामीटर भी शामिल होंगे। क्यूसीबीएस मूल्यांकन मानदंड का निर्णय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के परामर्श से और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदन से किया जाएगा।

13.2 नोडल एजेंसी द्वारा बातचीत: क्यूसीबीएस मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद, नोडल एजेंसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण, अनुप्रयोगों, नोड आकार (ओं), क्षमता, और योजना के तहत वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा आदि का प्रस्ताव करने के लिए योजना के तहत चयनित आवेदकों के साथ बातचीत करेगी।

13.3 बातचीत के बाद चुने गए आवेदक (आवेदकों) को नोडल एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा जाएगा।

13.4 केंद्रीय मंत्रि मंडल द्वारा आवेदक (आवेदकों) की स्वीकृति: नोडल एजेंसी द्वारा अनुशंसित आवेदक (आवेदकों) को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आवेदक (ओं) को संचार के लिए नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा।

14. संवितरण प्रक्रिया

14.1 योजना के तहत स्वीकृत आवेदकों को पूंजीगत सहायता के वितरण के लिए एमईआईटीवाई बजटीय प्रावधान करेगा। नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन शर्तों के आधार पर पूंजी सहायता का संवितरण किया जाएगा। नोडल एजेंसी नियमित आधार पर समेकित राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करेगी ।

14.2 नोडल एजेंसी द्वारा आवेदकों को परी-पासु आधार पर पूंजी सहायता जारी की जाएगी।

14.3 अनुमोदित आवेदकों को पूंजी सहायता के वितरण की विस्तृत प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

15. प्रभाव का आकलन: योजना का मध्यावधि मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के तीन साल बाद या योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार, स्वीकृत आवेदकों द्वारा योजना तथा अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुसार किया जाएगा। इस तरह के प्रभावमूल्यांकन के आधार पर, योजना के कार्यकाल को बढ़ाने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसके वित्तीय परिव्यय को बदलने का निर्णय लिया जाएगा।

16. योजना के दिशा-निर्देश: योजना के दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अलग से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

17. योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन: योजना और उसके दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन समय-समय पर या आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

Subject: Modified Scheme for setting up of Display Fabs in India

F. W-38/21/2022-IPHW.— 1. Background

1.1 Electronics permeates all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. Currently valued at around USD 2 Trillion (₹150 lakh crore), the global electronics market is expected to grow significantly given the increasing penetration of emerging technologies including 5G, IoT, Artificial Intelligence, Robotics, Smart Mobility, Smart Manufacturing, etc.

1.2 The vision of National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) and create an enabling environment for the industry to compete globally. One of the main strategies of NPE 2019 is to facilitate setting up of display fabrication facilities.

2. **Objective**:To attract large investments for setting up display fabrication facilities in the country to strengthen the electronics manufacturing ecosystem.

3. Eligibility and Fiscal support from Government of India

3.1 Display Fab

Description	Companies / Consortia / Joint Ventures proposing to set up a Display Fabrication Unit (Fab) in India for manufacturing TFT LCD or AMOLED based display panels
Technology	Generation 8 or above for TFT LCD OR Generation 6 or above for AMOLED
Capacity	60,000 Panels / month or more for TFT LCD 30,000 Panels / month or more for AMOLED
Operational Experience	The applicant Companies / Consortia / Joint Ventures should have the following experience: A. Own and operate a commercial Display Fab facility with TFT LCD Technology of Generation 6 or above OR B. Own or possess licensed technologies for Generation 8 of TFT LCD Technology or Generation 6 of AMOLED Technology; and demonstrate the roadmap to advanced technologies through licensing or development
Capital Investment Threshold	Minimum Capital Investment of ₹10,000 crore (₹100 billion)
Revenue Threshold	Minimum Revenue of ₹7,500 crore (₹75 billion) (including Group Companies) in any of the three financial years preceding the year of submission
Fiscal support from Government of India	**Fiscal support as percentage of Project Cost**
	50 %

4. Financial Support

4.1 Fiscal support: The scheme will extend fiscal support for Display Fabs subject to the eligibility criteria mentioned in Para 3.

4.2 Additional financial support, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies may also be availed.

5. Infrastructure Support

5.1 Support for development of Infrastructure / Common Facility Centres: Government of India may extend the benefits of Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme for development of infrastructure / Common Facility Centre subject to the proposal satisfying the EMC 2.0 framework requirements.

6. Demand Aggregation Support: Display Fab(s) set up in India will be supported through purchase preference in procurement of electronic products by the Government under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017.

7. **Support for R&D, Skill Development and Training:** Up to 2.5% of the outlay of the scheme shall be earmarked for meeting the R&D, skill development and training requirements for the development of display ecosystem in India.

8. **Tenure of the Scheme:** Support under the scheme shall be provided for a period of six years. The tenure of the actual fiscal support outflow may be extended based on the approval of the Minister of Electronics and Information Technology.

9. Financial Appraisal of the Scheme: The scheme shall be appraised by the Expenditure Finance Committee (EFC) led by Secretary, Department of Expenditure.

9.1 Expenditure Finance Committee shall determine the structure and quantum of fiscal support to be provided under the scheme in consultation with Ministry of Electronics and Information Technology and the Nodal Agency.

9.2 In case of fiscal support being provided as equity either in part or in full, Government of India's share will not exceed 49% of total project equity.

10. **Application Procedure:**The date of opening of new window for receiving applications will be notified separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology. All applicants who had applied in pursuance of the Gazette Notification dated 21st December, 2021 (earlier scheme) shall be allowed to submit applications as per the new scheme contained in this Notification when the new application window is opened.

11. **Number of beneficiaries:** Approval shall be granted to not more than two (2) applicants under the scheme. In case of receipt of a single application also under the scheme owing to the nature of the activity and availability of limited companies worldwide which are into display fab, the process of selection and approval of the applicant company / consortia will be followed. This is especially important in view of the economic realities and requirement of having a display fab in the country. Having domestic capabilities in display manufacturing is an imperative for industrial growth, digital sovereignty, and technological leadership.

12. **Governance Mechanism**

12.1 **Nodal Agency :** The scheme will be implemented through a nodal agency (India Semiconductor Mission). Such nodal agency will be responsible for carrying out technical appraisal and financial appraisal of the applications received under the scheme; recommending selection of applicants; and carrying out other responsibilities as assigned by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) from time to time. The functions and responsibilities of nodal agency shall be elaborated in the scheme guidelines to be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately.

12.2 For carrying out activities related to the implementation of the scheme, nodal agency would inter-alia:

12.2.1 Receive the applications, issue acknowledgements, and verify eligibility of the applicants for support under the scheme. Till such time that the Nodal Agency is fully established, Ministry of Electronics and Information Technology will carry out the further process.

12.2.2 Empanel agency(ies) or consultants as deemed necessary to carry out technical and financial appraisal of the projects as well as evaluate expertise of the applicants.

12.2.3 Negotiate with the applicant(s) to propose the appropriate technology mix, applications, generation, capacity, etc., and structure and quantum of fiscal support under the scheme.

12.2.4 Examine claims eligible for disbursement of fiscal support under the scheme and disburse the fiscal support as per eligibility.

12.2.5 Submit periodic reports to Ministry of Electronics and Information Technology regarding the progress and performance of the scheme.

13. **Approval Process**

13.1 QCBS Evaluation by Nodal Agency: The applicant(s) will be evaluated by the Nodal Agency based on Quality and Cost Based Selection (QCBS) criteria. This will include technical parameters such as process technologies, project implementation capacity, operation capability, etc. This will also include financial parameters such as structure of fiscal support sought from the government. The QCBS evaluation criteria shall be decided by Ministry of Electronics and Information Technology in consultation with Nodal Agency and approved by the Minister of Electronics and Information Technology.

13.2 Negotiations by Nodal Agency: After the process of QCBS evaluation, the Nodal Agency will hold negotiations with the selected applicant(s) under the scheme to propose the appropriate technology mix, applications, generation, capacity, etc., and structure and quantum of fiscal support under the scheme

13.3 The applicant(s) selected after negotiations shall be proposed by the Nodal Agency to Ministry of Electronics and Information Technology.

13.4 Approval of Applicant(s) by Union Cabinet: The applicant(s) as recommended by the Nodal Agency will be placed by the Ministry of Electronics and Information Technology for approval by the Union Cabinet. After the approval is accorded by the Union Cabinet, these will be forwarded by the Ministry of Electronics and Information Technology to the Nodal Agency for communication to the applicant(s).

14. **Disbursement Process**

14.1 Ministry of Electronics and Information Technology will make budgetary provisions for disbursal of fiscal support to approved applicant(s) under the scheme. The disbursement of the fiscal support will be done by the Nodal Agency based on approval conditions. Nodal Agency will submit budgetary requirement to Ministry of Electronics and Information Technology as consolidated amount on regular basis.

14.2 The fiscal support will be released to the applicant(s) by the Nodal Agency on pari-passu basis.

14.3 The detailed procedure for disbursal of fiscal support to the approved applicant(s) will be laid down in the Scheme Guidelines.

15. **Impact Assessment:** Mid-term appraisal of the scheme will be done after three years of its implementation or as per requirement to assess the impact of the scheme, off-take by the approved applicants and economy in terms of the stated objectives. Based on such impact assessment, decision will be taken to increase the tenure of the scheme and change its financial outlay with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

16. **Scheme Guidelines:** The scheme guidelines shall be issued by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

17. **Amendment of Scheme and Guidelines:** The scheme and its guidelines shall be reviewed and amended periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.06 11:50:30 +05'30'